


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक- 13 / 03 / 2018

संख्या-14/विविध (शक्ति)-906/2018-3488/सा0प्र0, श्री राज कुमार सिन्हा, बि0प्र0से0, (को0क्र0-538/11, गृह जिला-मुजफ्फरपुर), अपर समाहर्ता, गया को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत गया जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं। साथ ही गया जिला क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(विमलेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-14/विविध (शक्ति)-906/2018-3488/सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 13 / 03 / 2018

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) /महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप-मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/जिला पदाधिकारी, गया/सम्बन्धित कोषागार/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री राज कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता, गया/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-08, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(विमलेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।